

No. 520/EA (AKP) & IO/2019

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Heavy Industry
Udyog Bhawan, New Delhi

Dated: 21.02.2020

PUBLIC NOTICE

Vide this Public Notice, it is stated that in order to inquire into the charges framed against Shri K.K Tiwari, Retd. Industrial Advisor, Department of Heavy Industry, Shri A K Panda is appointed as Inquiry Authority by Department of Heavy Industry vide its Order No. 12(4)/2019-PE-XI dated 5th August, 2019.

2. Several communications were sent to Shri Tiwari, Retd. Industrial Adviser, DHI to represent himself in the inquiry. Neither Shri Tiwari nor his authorized representative attended it on 27.08.2019, 16.10.2019, 08.11.2019 & 03.01.2020.

3. The next hearing of the Inquiry will be held on 12.03.2020 (Thu) at 3.00 PM in Room No. 123 B, Department of Heavy Industry, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 wherein you Shri K.K. Tiwari is requested to attend the same, failing which the Inquiry will be held ex-parte. Details of this public notice is also available on the website of the Department of Heavy Industry: www.dhi.nic.in.

(A K Panda), Inquiry Officer

davp 18101/11/0003/1920

011-23062714

TOI

No. 520/EA(AKP) & IO/ 2019

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES &
PUBLIC ENTERPRISES
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

Udyog Bhawan, New Delhi

Dated: 21.02.2020

PUBLIC NOTICE

Vide this Public Notice, it is stated that in order to inquire into the charges framed against Shri K.K Tiwari, Retd. Industrial Advisor, Department of Heavy Industry, Shri A K Panda is appointed as Inquiry Authority by Department of Heavy Industry vide its Order No. 12(4)/2019-PE-XI dated 5th August, 2019.

2. Several communications were sent to Shri Tiwari, Retd. Industrial Adviser, DHI to represent himself in the inquiry. Neither Shri Tiwari nor his authorized representative attended it on 27.08.2019, 16.10.2019, 08.11.2019 & 03.01.2020.

3. The next hearing of the Inquiry will be held on 12.03.2020 (Thu) at 3:00 PM in Room No. 123 B, Department of Heavy Industry, Udyog Bhawan, New Delhi 110011 wherein you Shri K.K.Tiwari is requested to attend the same, failing which the Inquiry will be held ex-parte. Details of this public notice is also available on the website of the Department of Heavy Industry: www.dhi.nic.in.

Sd/-

(A K Panda)

Inquiry Officer

011-23062714

davp 18101/11/0003/1920

H-T

नं. 520/ईए (एकेपी) एंड 10/2019
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 21.02.2020

सार्वजनिक सूचना

इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि श्री के.के. तिवारी, सेवानिवृत्त औद्योगिक सलाहकार, भारी उद्योग विभाग के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए श्री ए.के. पंडा को भारी उद्योग विभाग दिनांक 5 अगस्त, 2019 के आदेश सं. 12(4)/2019-पीई-XI द्वारा जांच प्राधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. जांच में अपना पक्ष रखने के लिए श्री तिवारी, सेवानिवृत्त औद्योगिक सलाहकार, डीएचआई को कई पत्र भेजे गए। किन्तु, न तो श्री तिवारी न ही उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि इसमें (जांच में) दिनांक 27.08.2019, 16.10.2019, 08.11.2019 और 03.01.2020 को उपस्थित हुए।

3. जांच की अगली सुनवाई 12.03.2020 (बृहस्पतिवार) को 3.00 बजे कमरा सं. 123 बी, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित की जाएगी जिसमें श्री के.के. तिवारी से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। इसमें विफल होने की स्थिति में एकपक्षीय जांच की जाएगी। इस सार्वजनिक सूचना का विवरण भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ए.के. पंडा)

जांच अधिकारी

011-23062714

डीएवीपी 18101/11/0003/1920

दैनिक जागरण

published

नं. 520/ईए (एकेपी) एंड 10/2019
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 21.02.2020

सार्वजनिक सूचना

इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि श्री के.के. तिवारी, सेवानिवृत्त औद्योगिक सलाहकार, भारी उद्योग विभाग के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए श्री ए.के. पंडा को भारी उद्योग विभाग दिनांक 5 अगस्त, 2019 के आदेश सं. 12 (4)/2019-पीई-XI द्वारा जांच प्राधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. जांच में अपना पक्ष रखने के लिए श्री तिवारी, सेवानिवृत्त औद्योगिक सलाहकार, डीएचआई को कई पत्र भेजे गए। किन्तु, न तो श्री तिवारी न ही उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि इसमें (जांच में) दिनांक 27.08.2019, 16.10.2019, 08.11.2019 और 03.01.2020 को उपस्थित हुए।

3. जांच की अगली सुनवाई 12.03.2020 (बृहस्पतिवार) को 3.00 बजे कमरा सं. 123 बी, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 में आयोजित की जाएगी जिसमें श्री के.के. तिवारी से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। इसमें विफल होने की स्थिति में एकपक्षीय जांच की जाएगी। इस सार्वजनिक सूचना का विवरण भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ए.के. पंडा)

जांच अधिकारी

011-23062714

डीएवीपी 18101/11/0003/1920

अमर उजाला

on 29/02/2020